

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

स्टैट

बनाम सेवक सिंह आदि पुत्र करनैल सिंह

किस्म मुकदमा:-शिकायत प्रा0पत्र अ0घा0 11, 14 कॉलो0एक्ट प्र0रां0:- 543/2013 जीसीएमएस न.-543/13

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील मे जारी
हए

26.11.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण हाजिर। वकील अप्रार्थीगण श्री राकेश मनचन्दा ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र बिना किसी शिकायतकर्ता के, बैनामी, बिना हस्ताक्षरित, डाक से प्राप्त हो होकर दर्ज रजिस्टर कर चल रहा है जो गलत व नियम विरुद्ध है। उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र केवल मात्र अप्रार्थीगण को आर्थिक व मानसिक रूप से हैरान व परेशान करने की गर्ज से प्रस्तुत किया गया है। जबकि किसी भी राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र, वाद पत्र इत्यादि हस्ताक्षरित कर व्यक्तिगत रूप से/असालतन या वकालतन पेश किये जाने का ही रैवेन्यु कोर्ट मैन्युल भाग-2 के तहत आज्ञात्मक प्रावधान है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2012 (2) पृष्ठ 869 पर प्रकाशित न्याय निर्णय यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि अपील एवं अन्य प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत रूप से ही न्यायालय के समक्ष पेश किये जा सकते हैं ना कि डाक द्वारा। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध होने से निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र पर शिकायतकर्ता का नाम अंकित नहीं है तथा ना ही किसी के हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रार्थना पत्र जरिये डाक प्राप्त होकर दिनांक 19.11.2013 से जैरकार है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2012 (2) पृष्ठ 869 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अपील एवं अन्य प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत रूप से ही न्यायालय के समक्ष पेश किये जा सकते हैं ना कि डाक द्वारा। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते हैं। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत की अनुपालना में हस्तगत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

